अपील सूचना अधिकार संख्या 92/2018 (RCMS 2018/00213) श्री बृज मोहन पुत्र श्री सूरत सिंह गांव व डाकघर खुई खेड़ा 152121 तहसील व जिला फाजिल्का बनाम लोक सूचना अधिकारी, एवं तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.02.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री बृजमोहन स्वयं उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी तहसीलदार, पदमपुर या उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है और न ही उनका अपील के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी की प्रार्थना है कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, पदमपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22.04.2018 को प्रस्तुत करके एक बिन्दु के सम्बन्ध में सूचना चाही थी जो तहसीलदार, पदमपुर ने प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई है और न ही चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में कोई उत्तर दिया है। इसलिए अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि उसके द्वारा चाही गई उक्त सूचना शीघ्र उपलब्ध करवाई जाने के आदेश दिये जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी बृजमोहन ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.04.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, पदमपुर से निम्न सूचना चाही थीः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जीयो मोबाईल टावर चक एक पीपी में निर्माण हेतु जारी हुआ। इसके विरूद्ध दिनांक 22.02.2018 को एसडीएम साहब, पदमपुर को टावर के विरूद्ध इतराज दर्ज करवाया ह। यह टावर निर्माण सरकारी स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र व आंगनबाडी केन्द्र से लगभग 100 फुट से कम दूरी पर लग रहा है। दिनांक 21.03.2018 को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर द्वारा आपत्ति सूचना जारी की एवं तिथि 05.04.2018 को क्रमांक नम्बर एम.टी./2018/1602 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जार किया गया।

मांगी गई सूचनाये :

आपत्ति सूचना और अनापत्ति प्रमाण पत्र जो आपके नाम है, आपने मौका तफ्दीश करवाया या नहीं इसकी कॉपी दी जावे।

उपरोक्त सूचना आर.टी.आई. एक्ट 2005 अनुसार करके रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजने की कृपा करें।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कोई सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई है जबकि धारा 7(1) अन्तर्गत 30 दिवस के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने अथवा न करवाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से प्रावधान दिये गये है:

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

धारा 7 अनुरोध का निपटारा :

(1) धारा 5 की उप धारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंट के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के **धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक है।** इसलिए प्रार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की **अपील स्वीकार** की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, पदमपुर को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं अगर **देय है तो नियमानुसार उपलब्ध करवाई जाये अन्यथा न दिये जाने पर प्रार्थी को कारण सहित सूचित किया जावे।** आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। **पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।**

यह आदेश आज दिनांक 25.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर